प्रेषक–

चन्द्रशेखर ।।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–5, फिरोजाबाद।

सेवा में–

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा– माननीय जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

विषय– सिविल कोर्ट परिसर नगीना, जिला बिजनौर में स्थित आवास सं0....1.......
को Detain किए जाने के संबंध में–

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि पूर्व में मैं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगीना बिजनौर के पद पर कार्यरत था, जहां से मेरी प्रोन्नति/स्थानांतरण होकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद फिरोजाबाद हो गया है, जहां पर मैंने दिनांक 13.05.2020 को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट नं0–5 में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जनपद बिजनौर नगीना में उक्त आवास मुझे आवंटित था, किंतु जनपद फिरोजाबाद में सरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण मुझे आवास आवंटित नहीं हुआ है। मेरा परिवार अभी नगीना स्थित उक्त आवास में रहता है।

वर्तमान समय में जनपद बिजनौर एवं फिरोजाबाद में कोविड–19 का संक्रमण निरन्तर बढता जा रहा है, बहुत प्रयास के बावजूद फिरोजाबाद में मानक के अनुरूप एवं सुरक्षित आवास किराये पर लेने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है। कोविड–19 के संक्रमण के भय से मकान स्वामी गैर जनपद से आये लोगों को मकान देने से मना कर रहे हैं। साथ ही इस कोविड 19 के संक्रमण काल में सामान को इधर से उधर ले जाने पर भी मेरे परिवार को संक्रमण का खतरा है।

यह कि मेरी पुत्री कु0 कीर्ति यादव एम0ए0 अंतिम वर्ष एल0 आर0 एस0 एकेडमी नगीना की छात्रा है, जिसकी परीक्षा लाकडाउन के कारण स्थगित हो गयी है, उसके दो पेपर Urban sociology, Political sociology विषय के होना शेष है। उक्त निमित्त भी मुझे उक्त आवास की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कारणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नगीना, बिजनौर सिविल कोर्ट स्थित आवास को मेरे पक्ष में दो माह के लिए

Scanned with CamScanner

Detain करने हेतु मेरे प्रार्थना–पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दि0–09–06–20

भवदीय

C Shekhar
9·6·20

(चन्द्रशेखर ।।)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

<u>संलग्नक</u>–

1. कु0 कीर्ति यादव का एम0ए0
अंतिम वर्ष का परिचय–पत्र की छायाप्रति।

Scanned with CamScanner

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

औपबंधिक प्रवेश पत्र / PROVISIONAL ADMIT CARD (SESSION 2019-20)

Name of the Candidate : **KIRTI YADAV**

Father's/Mother's Name : **CHANDRA SHEKHAR YADAV / NEELIMA YADAV**

Roll No. : **190077310021**

Class : **M.A-YEAR-2**

Enroll. No. : **18003121**

Type : **P.G. Yearly Regular**

Category : **OBC**

Gender : **FEMALE**

Form # 420924

Centre Superintendent
L.R.S. Girls Degree
Nagina (Bijnor)

College Studying :
[731] LALA RADHEY SHYAM GIRLS DEGREE COLLEGE, KOTWALI ROAD,NAGINA (BIJNOR)

Examination Centre :
[731] LALA RADHEY SHYAM GIRLS DEGREE COLLEGE, KOTWALI ROAD,NAGINA (BIJNOR)

F/w 150/-

Subjects:
Sociology

Subject	Paper		Date	Time
Sociology	PAPER-1	Theoretical Perspectdives in Sociology [11715]	Mar 07, 2020 (Sat)	11:00 - 02:00 PM
Sociology	PAPER-2	Prespectives on Indian Society [11716]	Mar 17, 2020 (Tue)	11:00 - 02:00 PM
Sociology	PAPER-3	Urban Society in India [11717]	Mar 18, 2020 (Wed)	11:00 - 02:00 PM
Sociology	PAPER-4	Political Sociology [11721]	Mar 21, 2020 (Sat)	11:00 - 02:00 PM
Sociology	PAPER-5	Viva voce [70151]		

Note: आपके द्वारा परीक्षा फॉर्म में दिए गये अर्हता विवरण में भविष्य में कोई अनियमितता या कूटरचित तथ्य पाए जाने पर आपका परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा | Students failing to bring this **Admit Card alongwith a valid Government issued photo identity proof** shall not be allowed to appear in the examination. **This Admit Card is provisional.** The result shall be declared subject to eligibility of the candidate. **Printed on 22-Feb-2020 04:06**

(Controller of Examinations)

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य है।
2. उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत लिखें -
   अनुक्रमांक (अंकों में) - 1 9 0 0 7 7 3 1 0 0 2 1
3. स्नातक स्तर पर प्रैक्टिकल / वाइवा एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वाइवा की तिथि/समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
4. यदि अभ्यर्थी की फोटो अस्पष्ट / त्रुटियुक्त है, तो यह Admit Card किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी को केंद्र के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों का सर्वथा अनुपालन करना होगा।
6. उत्तर पुस्तिका पर आवरण पृष्ठ पर अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा।
7. अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जा सकेगा।
8. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक / सहायक पुस्तक / मोबाइल / कैलकुलेटर इत्यादि नहीं लायी जा सकती है। ऐसा पाए जाने पर केन्द्राध्यक्ष को छात्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
9. परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे परीक्षा बहिष्कार करने / छूट जाने पर उस परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

Scanned with CamScanner